संख्या- 77/2016/2650/33-3-2016-100(12)/2014

प्रेषक,

एस0पी0सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 19 अक्टूबर, 2016

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत जनपद-बदायूं के चयनित ग्रामों हेतु दी गयी धनराशि में से प्राप्त बचत की धनराशि का जनपद-बलिया एवं हापुड़ की मांग के सापेक्ष पुर्नआवंटन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/3947/2016-5/129/2016, दिनांक 14.10..2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत जनपद- बदायूं में रू. 89.832 (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की बचत हो रही है तथा जनपद- बलिया से रू. 20.00 लाख तथा जनपद-हापुड़ से रू. 10.00 लाख की मांग की गयी है। इसमें से निदेशालय के कन्टीजेन्सी मद हटाकर जनपद-बलिया को अनुदान संख्या-14 में से रू. 19.963 लाख एवं जनपद-हापुड़ को रू. 9.981 लाख की धनराशि पुर्नआवंटन के माध्यम दिये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या[1]14 के अन्तर्गत जनपद-बदायूं में रू 89.832 (0.02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी कटने के बाद) की हो रही बचत को जनपद- बलिया में रू. 19.963 लाख एवं जनपद-हापुड़ को रू. 9.981 लाख की धनराशि को पुर्नआवंटित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- उक्त पुर्नआवंटन की धनराशि इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि उक्त धनराशि वर्ष 2016-17 के लिए पूर्व में जारी शासनादेश से आवंटित थी। इस धनराशि की द्वितीय पुनरावृत्ति की शुद्धता की पुष्टि करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि उक्त धनराशि में वित्तीय वर्ष 2015-16 की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)

उप सचिव।

संख्या व दिनांकः-तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4. जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, बलिया एवं हापुड़।

5.. मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, बलिया एवं हापुड़।

6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।

7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

9 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।